



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29072026-274901
CG-DL-E-29072026-274901

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3939]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 27, 2026/श्रावण 5, 1948

No. 3939]

NEW DELHI, MONDAY, JULY 27, 2026/SHRAVAN 5, 1948

रेल मंत्रालय

(उत्तर रेलवे)

अधिसूचना

फिरोजपुर, 24 जुलाई, 2026

का.आ. 4109(अ).— रेल अधिनियम 1989 (संशोधन अधिनियम, 2008) की धारा 2 के खंड (37— ए) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा “सानेहवाल—जालंधर सिटी खंड पर वरिष्ठ अनुभाग अभियंता/फगवाड़ा के अधीन मानवयुक्त लेवल क्रॉसिंग संख्या एस— 79 और एस—80 के स्थान पर 5 मीटर ग 5 मीटर आकार के सीमित ऊंचाई वाले सब—वे का निर्माण, धक्का विधि द्वारा” विशेष रेल परियोजना के रूप में अधिसूचित करती है। यह भूमि कपूरथला जिले, पंजाब राज्य में लगभग 9.00 मरला (227.636 वर्ग मीटर) भूमि के अधिग्रहण के लिए है, ताकि सीमित ऊंचाई वाले सब—वे (पूर्व में लेवल क्रॉसिंग एस — 80, गांव मौली, फगवाड़ा) के पास मार्ग/पहुँच प्रदान की जा सके। यह अधिसूचना सीडब्ल्यू संख्या 26580 ऑफ 2023 में जारी आदेश का अनुपालन करते हुए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए राष्ट्रीय अवसंरचना उपलब्ध कराने हेतु की गई है। यह अधिसूचना आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन तिथि से प्रभावी होगी।

[फा. सं. 635— डब्लू/175/2025/एल.डीएच]

एस.के.श्रीवास्तव, सीएओ/निर्माण/आरएसपी, फिरोजपुर मंडल

MINISTRY OF RAILWAYS**(Northern Railway)****NOTIFICATION**

Firozpur, the 24th July, 2026

S.O. 4109(E).— In exercise of the power conferred by clause (37-A) of section 2 of the Railway's Act 1989 (Amendment act 2008), the Central Government hereby notifies **“Construction of Limited Height Subway of size 5mtr x 5mtr by pushing method in lieu of manned Level crossing no S-79 & S-80 on Sanehwal-Jalandhar City section under Senior Section Engineer/Phagwara”** as **Special Railway Project** for land acquisition of Approx. **09.00 Marla (227.636 Sq. Meter)** in District Kapurthala, Punjab State for providing passage/access near Limited Height Subway (formerly a Level crossing S-80, Village Mauli, Phagwara) to comply the order issued in CWP No 26580 of 2023 for providing National infrastructure for a public purpose with effect from the date of publication of this notification in the official gazette.

[F. No. 635-W/175/2025/LDH]

S.K. SRIVASTAVA, CAO/Const./RSP, Firozpur Division